

पीठ:- एम.एम. पूँछी, न्यायाधिपति

चंडीगढ़ प्रशासन - याचिकाकर्ता

बनाम

गुरचरण सिंह टोहरा और अन्य - प्रत्यर्थागण

क्रिमिनल पुनरीक्षण संख्या 480 of 1984

5 अप्रैल, 1984

*पंजाब जेल नियमावली— जिम्मन 555, 555-A, 558, 559, 559-A, 560 और 560-A— कारागृह में केद अन्वीक्षाधीन— मुलाक़ात करने वालों की संख्या— दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साक्षात्कार— न्यायालय को— क्या अधिकार है कि वह मुलाक़ात करने वालों या उनके साथ साक्षात्कार को नियंत्रित कर सके।*

अभिनिर्धारित किया गया कि न तो पंजाब जेल नियमावली के जिम्मन 559-A के अधीन दिए गए गैर-सजायाफ़्ता कैदी के अधिकार में कटौती की जा सकती है और न ही न्यायालय द्वारा जेल अधीक्षक को साक्षात्कार के समय किसी विशेष संख्या में व्यक्तियों को अनुमति देने का निर्देश दिया जा सकता है। यह मामला पंजाब जेल नियमावली के प्रावधानों की भावना से विनियमित करने के लिए जेल अधीक्षक के विवेकाधिकार पर छोड़ दिया गया है और विशेष रूप से जिम्मन 555, 555-A, 558, 559, 559-A, 560 और 560-A में दिया गया है। इस प्रकार न्यायालय किसी व्यक्ति का आदर करने वाला नहीं है। जो कुछ भी है वह यह कठिन कर्तव्य सुनिश्चित करना है कि केद के दौरान एक कैदी, किसी भी यातना के अधीन न हो। इस संबंध में सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन और अन्य का मामला देखा जा सकता है। मेरे विचार से, न्यायालय न तो साक्षात्कारकर्ताओं की संख्या तय कर सकता था और न ही उनकी सीमा को

कम या बढ़ा सकता था। यह जेल अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में है, जिसके लिए न केवल पंजाब जेल नियमावली में अपितु जेल अधिनियम, 1894 के तहत भी अंतर्निहित सुरक्षा उपाय हैं।

(जिम्मन 5)

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 401 के अन्तर्गत यह याचिका श्री के.सी. गुप्ता, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चंडीगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांकित 28 मार्च, 1984 के पुनरीक्षण हेतु दायर की गई है, जिसके तहत उन्होंने अपने आदेश दिनांकित 23 मार्च, 1984 की समीक्षा के आवेदन को खारिज कर दिया, जिस आदेश के तहत उन्होंने यह अनुमति दी कि नियम 560 और 560-A के अधीन आवेदक(अभियुक्त) सप्ताह में दो बार अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साक्षात्कार के लिए हकदार हैं और सप्ताह में दो बार 10 व्यक्तियों को प्रत्येक अभियुक्त से मिलने की अनुमति दी।

**उपस्थित:-**

वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आनंद स्वरूप और अधिवक्ता श्री एम.स्वरूप, याचिकाकर्ता की ओर से।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जी.एस. गेवाल और अधिवक्ता श्री एच.एस. नगरा, प्रत्यर्थीगण की ओर से।

**निर्णय**

**एम.एम. पूँछी, न्यायाधिपति**

1) पुनरीक्षण के लिए यह याचिका चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा श्री के.सी. गुप्ता, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चंडीगढ़ द्वारा पारित दो आदेशों के विरुद्ध दायर की गई है, एक दिनांक 23 मार्च, 1984 का जो कि एक-पक्षीय रूप से पारित किया गया था और दूसरा 28 मार्च, 1984 का जिसमें पूर्व में पारित एक-पक्षीय आदेश की समीक्षा करने से इंकार किया गया था।

(2) चार अकाली नेता, जो कि प्रत्यर्थागण हैं- सर्वश्री सुरजीत सिंह बरनाला, बलवंत सिंह रामूवालिया, गुरचरण सिंह टोहरा और रणधीर सिंह चीमा, जो कि भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और राष्ट्रीय अपमान निवारण अधिनियम, 1971 की धारा 2 के अधीन विचाराधीन हैं, को कैद किए जाने के मामले में जिला जेल प्राधिकारियों, बुड़ैल, चंडीगढ़ से अपेक्षा की गई थी कि वे उनके मित्रों और रिश्तेदारों के साथ उनके साक्षात्कारों को पंजाब जेल नियमावली के प्रावधानों के अनुसार विनियमित करें। जब जिला और सत्र न्यायाधीश, चंडीगढ़ 23 मार्च, 1984 को जेल का निरीक्षण करने गए थे, तो प्रत्यर्थागण द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत करके इसके कार्यकरण में असहमति व्यक्त की गई थी, जिसका एक अंश नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है: -

"कि अधीक्षक याचिकाकर्ताओं का साक्षात्कार करने के लिए दो से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं देता है और याचिकाकर्ताओं के रिश्तेदारों और दोस्तों को बहुत परेशान किया जाता है।

कि जेल नियमावली के जिम्मन 559-A में मुलाकात करने वालों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। यहां तक कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के मामले में, उच्च न्यायालय ने 10 व्यक्तियों को एस. जगदेव सिंह तलवंडी से सप्ताह में दो बार मिलने की अनुमति दी है।

इसलिए, यह अनुरोध किया जाता है कि कृपया अधीक्षक जेल को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं ताकि मुकदमे की अवधि के दौरान कम से कम 10 व्यक्तियों को सप्ताह में दो बार याचिकाकर्ताओं का साक्षात्कार करने की अनुमति दी जा सके।"

(3) विद्वान सत्र न्यायाधीश ने आवेदन को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चंडीगढ़ को अग्रेषित किया, जिन्होंने उसी दिन किसी भी पक्ष की गैर-उपस्थिति में एक एक-पक्षीय आदेश पारित करते हुए कहा:

"मैंने इस आवेदन पर सावधानीपूर्वक विचार किया है। जेल नियमावली के नियम 559-A के तहत, गैर-सजायाफ्ता अपराधी अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ प्रत्येक सप्ताह में दो साक्षात्कार का हकदार है। इसलिए, आवेदक (अभियुक्त) अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ सप्ताह में दो बार साक्षात्कार के हकदार हैं। समग्र स्थिति को ध्यान में रखते हुए, मैं 10 व्यक्तियों को सप्ताह में दो बार प्रत्येक आरोपी से मिलने की अनुमति देता हूँ। हालांकि, ये साक्षात्कार नियम 560 और 560-ए के अधीन होंगे।"

उपर्युक्त आदेश की चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा समीक्षा करने की मांग की गई थी। प्रार्थना को अस्वीकार करते हुए, विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने इस प्रकार टिप्पणी की-

"विशेष लोक अभियोजक द्वारा यह स्वीकार किया जाता है कि अभियुक्तगण महत्वपूर्ण नेता हैं और लोकप्रिय हैं और कई व्यक्ति उनसे साक्षात्कार लेने आते हैं। चूँकि विचाराधीन कैदी लोकप्रिय नेता हैं, इसलिए इस न्यायालय द्वारा तय की गई संख्या कि 10 व्यक्ति प्रत्येक सप्ताह प्रत्येक अभियुक्त से मिलने के हकदार हैं, अन्यायपूर्ण नहीं है। वास्तव में, 23 मार्च, 1984 के आदेश द्वारा मैंने उन व्यक्तियों की संख्या सीमित कर दी थी, जो विचाराधीन कैदियों के साथ साक्षात्कार ले सकते थे। यदि बड़ी संख्या में व्यक्ति विचाराधीन कैदियों के साथ साक्षात्कार के लिए आ रहे हैं और जेल अधीक्षक को पता चलता है कि वे वास्तविक मित्र और रिश्तेदार नहीं हैं तो निश्चित रूप से जेल अधीक्षक जेल नियमावली के नियम 560 के तहत साक्षात्कार की अनुमति के लिए इंकार कर सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर 10 सच्चे दोस्त और रिश्तेदार साक्षात्कार के लिए नहीं आए हैं तो हर मामले में उन्हें 10 व्यक्तियों को विचाराधीन कैदियों से मिलने की अनुमति देनी चाहिए। हालांकि, अगर 10 वास्तविक दोस्त और रिश्तेदार साक्षात्कार के लिए उपलब्ध हैं तो उन्हें अनुमति देनी चाहिए। 23 मार्च, 1984 को दिया गया आदेश उचित, निष्पक्ष और न्यायसंगत है। इस आदेश की समीक्षा करने का कोई औचित्य नहीं है। जेल

नियमावली के नियम 559-A में व्यक्त कानून की भावना को किसी भी मनमाने कदम से बाधित नहीं किया जा सकता है।”

(4) विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेशों ने एक बहुत व्यापक बहस शुरू कर दी। इस तरह के आदेश पारित करने की उनकी शक्ति पर ही सवाल उठाए गए थे। पंजाब जेल नियमावली के जिम्मन 559-A की ताकत का भी परीक्षण करने की आवश्यकता थी कि क्या यह एक वैधानिक प्रावधान था या केवल एक कार्यकारी निर्देश था। हालांकि, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं ने शांत रवैया अपनाया है और अपना ध्यान केवल एक बिंदु पर सीमित रखा है, जो है, द्वि-साप्ताहिक साक्षात्कार के समय उपस्थित होने वाले व्यक्तियों की संख्या के बारे में। विद्वत विशेष लोक अभियोजक प्रत्यर्थागण के इस दावे पर विवाद करता है कि ऐसे साक्षात्कार के समय केवल दो व्यक्तियों की अनुमति है, जबकि प्रत्यर्थागण के विद्वत अधिवक्ता का कहना है कि प्रत्येक साक्षात्कार में दो से अधिक व्यक्तियों की अनुमति नहीं है, जिससे बड़ी संख्या में प्रत्येक प्रत्यर्थी के मित्रों और रिश्तेदारों को निराशा होती है। और विशेष लोक अभियोजक ने जोर देकर कहा कि साक्षात्कार के दिन 10 रिश्तेदारों और दोस्तों की उपलब्धता पंजाब जेल नियमावली के तहत ऐसी सुविधाओं के लिए, अब जेल अधीक्षक को अन्य विचाराधीन आबादी के अधिकारों की कीमत पर प्रत्येक प्रत्यर्थी को उसके श्रोता देने का आदेश देती है, जबकि प्रत्यर्थागण के विद्वान अधिवक्ता ने जोर देकर कहा कि 10 पर आंकड़ा कम करके, आदेश चंडीगढ़ प्रशासन के पक्ष में था।

(5) मैंने दोनों पक्षों के परस्पर विरोधी अभिकथनों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और मेरा यह मत आया है कि न तो पंजाब जेल नियमावली के जिम्मन 559-A के अधीन दिए गए गैर-सजायाफ्ता कैदी के अधिकार में कटौती की जा सकती है और न ही न्यायालय द्वारा जेल अधीक्षक को साक्षात्कार के समय किसी विशेष संख्या में व्यक्तियों को अनुमति देने का निर्देश दिया जा सकता है। यह मामला पंजाब जेल नियमावली के प्रावधानों की भावना से विनियमित करने के लिए जेल अधीक्षक के विवेकाधिकार

पर छोड़ दिया गया है और विशेष रूप से जिम्मन 555, 555-A, 558, 559, 559-A, 560 और 560-A में दिया गया है। इस प्रकार न्यायालय किसी व्यक्ति का आदर करने वाला नहीं है। जो कुछ भी है वह यह कठिन कर्तव्य सुनिश्चित करना है कि केद के दौरान एक कैदी, किसी भी यातना के अधीन न हो। इस संबंध में सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन और अन्य का मामला देखा जा सकता है। मेरे विचार से, न्यायालय न तो साक्षात्कारकर्ताओं की संख्या तय कर सकता था और न ही उनकी सीमा को कम या बढ़ा सकता था। यह जेल अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में है, जिसके लिए न केवल पंजाब जेल नियमावली में अपितु जेल अधिनियम, 1894 के तहत भी अंतर्निहित सुरक्षा उपाय हैं।

(6) उपर्युक्त लिए गए दृष्टिकोण अनुसार, इस याचिका को अनुमति दी जाती है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के विवादित आदेशों को अपास्त कर दिया जाता है। उपर्युक्त किए गए अवलोकन जेल अधिकारियों के लिए पर्याप्त दिशानिर्देश हैं।

**अस्वीकरण:**

स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय याचिकाकर्ता के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

ऋषभ अग्रवाल, प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी  
रेवाड, UID No:- HR0675